दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
पर्यावास भवन ब्लाक 'अ' द्वितीय तल
जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र)
फोन 0755–2763391
फैक्स– 0755–2763394
ई–मेल info.mpsmc@mp.gov.in

क्र. ई–नीलामी सूचना क्र. 275/2015 दिनांक 26/08/2015

ई–नीलामी सूचना

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के वाहन क्रमांक **MP-04-HC-3649** (टाटा इण्डिगो पेट्रोल) मॉडल 2004 विक्रय किये जाने हेतु पात्र ऑफरकर्ताओं से आरक्षित मूल्य (Upset Price) से उच्चतम मूल्य प्राप्त करने हेतु बोली आमंत्रित की जाती है।

NO./	**DATED:**
MATERIAL	वाहन क्रमांक **MP-04-HC-3649** (टाटा इण्डिगो पेट्रोल) मॉडल 2004
SELLER (विक्रेता)	दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
AUCTION DATE	11.09.2015
AUCTION START TIME	11.00 बजे से 1.00 बजे तक
PRIOR EXTENSION TIME	10 मिनिट
NO. OF EXTENSIONS	असीमित (Unlimited)
DURATION OF EACH EXTENSION	10 मिनिट
INSPECTION DATE	26.08.2015 से 08.09.2015 (समय 10.30 से 5.30 तक)
CONTACT PERSON	श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक(तकनीकी)
VEHICLE LOCATION	दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, पर्यावास भवन ब्लाक 'अ' द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र)
UPSET PRICE	35,000/–
EMD	10,000/–
LAST DATE OF SUBMISSION EMD	08.09.2015

ऑन लाइन पंजीयन की जानकारी –

1. बोलीकर्ता को सर्वप्रथम आन लाइन पंजीयन www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू0 500/– (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी जिसके आधार पर बोलीकर्ता खनिज निगम की ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है । यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात बोलीकर्ता म.प्र. शासन के किसी भी ई–निविदा या ई–नीलामी प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।
2. प्रोसेसिंग फीस रू0 285/–(सर्विस टैक्स अतिरिक्त) होगी, का भी ई–पेमेंट के द्वारा बोलीकर्ता को भुगतान करना होगा।
3. अमानत राशि – वाहन की अमानत राशि रुपये 10,000/– (दस हजार) निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सिस्टम द्वारा उत्पन्न चालान के माध्यम से NEFT/RTGS एवं ई–पेमेंट (बैंक प्रभार अतिरिक्त जमा करना होगा) के द्वारा भुगतान करना होगा ।
4. बोलीकर्ता वेबसाईट www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर लॉग–इन करके रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं अमानत राशि जमा करके नीलामी में भाग ले सकेगा। बोलीकर्ता स्वयं यह समाधान कर लें कि वह आन लाइन बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।

5. **ई–नीलामी प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन, भुगतान प्रक्रिया तथा ई–नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण** –

बोलीकर्ता ई–नीलामी प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई–नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नं0 18002588684 (टोल फ्री) पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00बजे तक संपर्क कर सकते हैं । साथ ही ई–मेल आई.डी. eproc_helpdesk@mpsdc.gov.in पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं ।

6. **आन लाइन बोली की प्रक्रिया** –

6.1 आन लाइन बोली निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभ होगी ।

6.2 बोलीकर्ता उच्चतम बोली को ऑन–लाइन अवलोकन कर सकेंगे तथा न्यूनतम रू0 **1,000/–** या उसके गुणांक (multiples) में उससे उच्च बोली लगा सकेंगे ।

6.3 बोली समाप्त होने के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली के समय में स्वतः 10 मिनिट की वृद्धि हो जाएगी एवं इसी प्रकार वृद्धि होती रहेगी जब तक अंतिम बोली प्राप्त न हो जाए।

7 वाहन विक्रय हेतु निगम की ई–नीलामी की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

7.1 बोलीकर्ता को सर्वप्रथम ऑन–लाइन पंजीयन www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू0 500/– (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी।

7.2 www.mpeproc.gov.in पर क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपसे यूजर नेम एवं पासवर्ड मांगा जायेगा। यदि आप नये यूजर हैं, ऐसी स्थिति में आपको न्यू यूजर के आप्शन पर क्लिक करना होगा ।

7.3 न्यू यूजर के आप्शन पर क्लिक करने से एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात् आपको नियम तथा शर्तो को स्वीकार करना होगा तथा विंडो में दर्शित केप्चा को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा । विंडों में पोर्टल शुल्क के रूप में आपसे रूपये 500/–(सर्विस टैक्स अतिरिक्त) का भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा ।

7.4 इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। आप यदि चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किया गया पंजीयन एक वर्ष के लिए वैध होगा ।

7.5 उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको सिस्टम द्वारा उत्पन्न यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। आप इस पासवर्ड को ऑन–लाइन पोर्टल पर परिवर्तित भी कर सकते है। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे। इस पासवर्ड को सुरक्षित एवं गोपनीय रखनें की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

7.6 www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड भरने के पश्चात एक्टिविटी वाले कॉलम में आपको ''आक्शन'' का चयन करना होगा ।

8 ई–नीलामी में भाग लेने के पूर्व की प्रक्रिया

8.1 ई–नीलामी की सूचना म0प्र0 स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. व्दारा जारी की जायेगी। इस सूचना में वाहन की सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्ररक्षित मूल्य भी दर्शित की जायेगी। यह सूचना नीलाम दिवस के 15 दिवस पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित

की जायेगी। इस सूचना में वाहन की ई–नीलामी किये जाने का दिनांक एवं इसके प्रारंभ होने तथा समाप्त होने का समय अंकित किया जायेगा।

8.2 ई–नीलामी की सूचना www.mpeproc.gov.in एवं www.mpsmcl.mp.gov.in पोर्टल में नीलामी के 15 दिवस पूर्व प्रदर्शित होने लगेगी ।

8.3 वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन समय में **दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, पर्यावास भवन ब्लाक 'अ' द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र)** में किया जा सकता है। नीलामी के पूर्व वाहन का निरीक्षण भली–भांति कर ले। नीलामी के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

8.4 वाहन ''जहा है, जैसी स्थिति में है'' के आधार पर नीलाम किया जा रहा है। वाहन की डिलेवरी लेने के बाद वाहन के हस्तांतरण हेतु समस्त व्यय क्रेता को स्वंय करना होगा। निगम सिर्फ विक्रय पत्र जारी करेगा।

8.5 कार्यालय से वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात् कार्यालय परिसर के बाहर कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

8.6 वाहन के हस्तांतरण संबंधी आर0टी0ओ0 अथवा बीमा आदि पर होने वाला व्यय निविदाकर्ता को ही वहन होगा।

8.7 सूचना प्रदर्शित होने के पश्चात् जो बोलीकर्ता ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक है उसे चयनित की ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विंडो मे दर्शित शर्तों के पालन की स्वीकार्यता ऑनलाइन की जानी होगी। स्वीकार्यता होने पर ही बोलीकर्ता इस ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

8.8 अमानत राशि (EMD) का ऑनलाइन भुगतान सिस्टम द्वारा चालान के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी एवं ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा सकेगा।

8.9 अमानत राशि का भुगतान नीलाम दिवस के तीन दिन पूर्व तक किया जा सकेगा।

9. ई–ऑक्शन की प्रक्रिया–

9.1 नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक बोलीकर्ता को www.mpeproc.gov.in पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा ।

9.2 पोर्टल में प्रविष्टि उपरांत एक्टीविटी विंडो में क्लिक करना होगा। इस विंडो में क्लिक करनें के उपरांत आपको '' auction '' का चयन करना होगा ।

9.3 Auction मोड के चयन उपरांत आपको खनिज निगम (Mining Corporation) का चयन करना होगा ।

9.4 खनिज निगम (Mining Corporation) के चयन करने पर नीलाम में प्रदर्शित वाहन से संबंधित सूची विंडो में दर्शित होगी ।

9.6 बोलीकर्ता उच्चतम बोली को ऑन–लाइन अवलोकन कर सकेंगे तथा न्यूनतम रू0 **1,000/–** या उसके गुणांक (multiples) में उससे उच्च बोली लगा सकेंगे ।

9.7 प्रत्येक बोलीदार के कम्प्यूटर के विंडो पर अन्य बोलीदारों की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी । उनकी पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी ।

9.8 बोली हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पूर्व यदि उच्चतम बोली प्राप्त होती है तब नीलामी का समय 10 मिनिट स्वतः बढ़ जायेगा । यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी । यदि इस प्रक्रिया में उच्चतम बोली लगाये जाने के 10 मिनिट उपरांत कोई बोली प्राप्त नहीं होती तब यह बोली अंतिम मान्य होगी तथा उस वाहन की ई–नीलामी की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी । इसकी सूचना समस्त बोलीदारों के कम्प्यूटर पर प्रदर्शित होगी

9.9 सफलतम बोलीकर्ता को सर्वोच्च बोली की सूचना पंजीकृत ई–मेल एवं पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार्य होने पर नियमानुसार सूचना पत्र एवं अन्य आगामी कार्यवाही की जायेगी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उच्चतम बोलीदार को सर्वोच्च बोली की सूचना प्राप्त होने का आशय बोली स्वीकृत होना नहीं है। बोली स्वीकृत होने की सूचना बोलीकर्ता को प्रथक से दी जावेगी।

9.10 सफलतम बोलीकर्ता को जारी किये गये सूचना पत्र में दिये गये समय मे बोलीकर्ता द्वारा लगाई गई संपूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। बोली मे भाग लेने हेतु बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि इस में समायोजित की जाएगी। तदउपरांत सफलतम बोलीकर्ता कों वाहन विक्रय पत्र जारी किया जायेगा।

10. बोली स्वीकृत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

10.1 एक से अधिक वैध ऑफर प्राप्त होने पर अपसेट प्राइज के उपर प्राप्त उच्चतम ऑफर स्वीकृत किया जायेगा।

10.2 यदि प्रथम आमंत्रण में केवल एक ऑफर प्राप्त होता है। तथा यदि वह एकल ऑफर अपसेट मूल्य के उपर 10 प्रतिशत या अधिक का प्राप्त होता है। तो वह स्वीकृत किया जायेगा किन्तु इससे कम का ऑफर आमंत्रित नहीं किया जावेगा।

10.3 द्वितीय बार यदि अपसेट मूल्य से अधिक का ऑफर प्राप्त होता है। तो वह एकल होने पर भी स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑफर के अपसेट मूल्य के उपर 10 प्रतिशत या अधिक होने का बंधन नहीं रहेगा।

10.4 उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा ई–नीलामी में प्रस्तुत किये गये मूल्य पर प्रचलित दर से वैट पृथक से देय होगा।

10.4 ऑफर अभिलेखों में अन्यथा प्रावधान होने के पश्चात् भी बिना कारण बताए किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने, समस्त ऑफर्स को अस्वीकृत करने या ऑफर प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी किसी स्वीकृत अस्वीकृत तथा ऑफर प्रक्रिया के समापन के कारण उपर कोई देयता या बाध्यता निर्मित नहीं होगी।

11. बोली प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत उच्चतम ऑफर कर्ता की अमानत राशि रोककर शेष ऑफर कर्ताओं की अमानत राशि ई–पेमेंट के माध्यम से उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे बोलीकर्ता ने भुगतान किया है या उसके द्वारा जिस खाते में रिफण्ड का अनुरोध किया गया है।

12. मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट www.mpeproc.gov.in पर ई–नीलामी मार्गदर्शिका उपलब्ध है तदानुसार वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये बोलीकर्ता ई–नीलामी में भाग ले सकेगे।

प्रबंध संचालक